

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-304/17 श्र0सं0-142  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

गोपाल मोणा,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, रोहतास/अररिया/गया/दरभंगा/  
वैशाली/भभुआ(कैमूर)/सीवान ।

पटना, दिनांक:- 7.2.18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230 श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग सं०-26-उप शीर्ष 0104-बाल श्रमिक तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2842 दिनांक 17.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित "बाल श्रमिक पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू० 5000/- (रुपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है-

क्र० सं०	37-अनुग्रह अनुदान विषयशीर्ष	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	0104.37.01 अनुग्रह अनुदान	रोहतास	04	20000	श्रम अधीक्षक, रोहतास के पत्रांक-44 दिनांक-18.01.18 के आलोक में ।
2	तदैव	अररिया	02	10000	श्रम अधीक्षक, अररिया के पत्रांक-23 दिनांक-18.01.18 के आलोक में ।
3	तदैव	गया	26	130000	उप श्रमायुक्त, गया के पत्रांक-1964 दिनांक-15.12.17 के आलोक में ।
4	तदैव	दरभंगा	02	10000	श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-55 दिनांक-13.01.18 के आलोक में ।
5	तदैव	वैशाली	04	20000	श्रम अधीक्षक, वैशाली के पत्रांक-54 दिनांक-09.01.18 के आलोक में ।
6	तदैव	भभुआ (कैमूर)	07	35000	श्रम अधीक्षक, भभुआ(कैमूर) के पत्रांक 77 दिनांक-23.01.18 के आलोक में ।
7	तदैव	सीवान	02	10000	श्रम अधीक्षक, सीवान के पत्रांक-14 दिनांक-08.01.18 के आलोक में ।
	कुल योग		47	235000	

कुल आवंटित राशि ₹ 2,35,000/- (₹ दो लाख पैंतीस हजार) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक 31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार किया जाय । आवंटित राशि से उन्ही विमुक्त बाल श्रमिक को लाभांशित किया जाय जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांशित नहीं किया गया हो ।

बाल श्रमिक की सूची

02, 2017

श्री + जिला - अररिया का

13111 No - 82/17 - 18

क्रम सं ०	बाल श्रमिक का नाम व पता	वाउचर सं ०	विमुक्ति की तिथि	कोटि	पुनर्वास राशी	अभियुक्ति
01	नीरज कुमार , पिता-शुनीलाल ऋषिदेव, ग्राम-महुआ , बार्ड न ०-02, पो- अगारधापा ,	56	15.07.17	अनुसूचित जाती	5000.00	
02	ललित कुमार , पिता - दिनेश ऋषिदेव, ग्राम -लक्ष्मीपुर , पो -गिधबास,, थाना + प्रखंड - रानीगंज , अररिया (मेडिकल में उप अधिक)	57	07.10.17	अनुसूचित जाती	5000.00	
कुल राशी -10000.00 (दस हजार रुपये मात्र)						

श्री + जिला - अररिया का  
13111 No - 82/17 - 18  
श्री + जिला - अररिया का  
13111 No - 82/17 - 18